

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :- बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या. 70/2024

किस्म :- प्रार्थना पत्र

दायर दिनांक : 14.06.2024

निर्णय दिनांक: 25.02.2026

अनवान

- 1- नारायण पिता तुलछा जाति कुमावत निवासी ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
- 2- सोहनलाल पिता तुलछा जाति कुमावत निवासी ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

- 1- दला पुत्र पीथा जाति भील निवासी ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
- 2- किशनलाल पिता मोती जाति कुमावत निवासी ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
- 3- मोहन पिता मोती जाति कुमावत निवासी ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
- 4- लच्छु पिता मोती जाति कुमावत, निवासी ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
- 5- लेरी पत्नि मोती जाति कुमावत निवासी ओडा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी अधिवक्ता- मदनलाल सालवी

प्रतिवादीगण - अनुपस्थित

निर्णय

प्रार्थीया की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ओडा, पटवार हल्का ओडा, तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की सीमा में प्रार्थीया के स्वामित्व आधिपत्य की आराजी संख्या 1886 कृषि भूमि स्थित है। प्रमाण में जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। यह कि आराजी संख्या 2228/1755 विपक्षी संख्या 01 की व आराजी संख्या 1885 विपक्षी संख्या 02 से लगायत 05 की हैं। विपक्षीगण की उक्त आराजीयात संख्या 2228/1755 के सटमा मुख्य रास्ता आम रोड है जो ओडा से तेजपुरा फतहनगर की ओर जाती है जिसके आराजी संख्या 1754 है। उक्त आम रोड के पूर्व दिशा में सटमा विपक्षी संख्या 01 की आराजी संख्या 2228/1755 स्थित है व इस आराजी से पूर्व दिशा में सटमा विपक्षी संख्या 02 से लगायत 05 की आराजी संख्या 1885 स्थित है व इसके सटमा पूर्व दिशा में प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1886 स्थित है। प्रार्थीगण व अन्य खातेदार आराजी संख्या 2228/1755 के दक्षिण दिशा में होते हुए आराजी संख्या 1885 में प्रवेश कर आराजी संख्या 1885 के दक्षिण दिशा में होते हुए अपनी आराजी संख्या 1886 में आते जाते हैं प्रार्थीगण इसी रास्ते से सदीप से आते जाते रहे। विपक्षीगण की भुमि विपक्षीगण को आवंटित हुई हे जिसमें उक्त रास्ते की भुमि को भी सम्मिलित कर दिया गया है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1886 पर जाता है एवं उक्त रास्ता एक मात्र रास्ता

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

होकर इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमियो मे आते जाते हैं और प्रार्थीगण की भुमि में आने जाने का यही एक मात्र रास्ता है। साथ ही प्रार्थीगण की आराजी संख्या 1886 में विपक्षीगण की आराजी संख्या 2228/1755 व 1885 की दक्षिणी पाली से प्रार्थीगण सदीप से आते जाते है। सलंगन नजरी नक्शा में उक्त रास्ता दर्शाया गया है। प्रार्थीगण को अपनी भुमि में आने जाने के लिए विपक्षीगण की उक्त आराजी 2228/1755 व रास्ता जा रहा है विपक्षीगण आये कहते है कि वे 1885 में से होकर एक मात्र रास्ता लेकिन जो वह राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं है इसलिए दिन उक्त रास्ते को लेकर विवाद करते है और शीघ्र ही उक्त रास्ते की भुमि में निर्माण आदि करा उक्त रास्ते को हमेशा के लिए बंद कर देंगे रास्ते की भुमि को खुर्द बुर्द कर देगे। इस प्रकार उक्त रास्ता जो सदीप से कायम है जिसे विपक्षीगण जबरन बंद करना चाहते है और विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण से इस रास्ते को लेकर विवाद करते है व झगडा फसाद कर रास्ते को बंद करने की धमकीयों देते है। यह कि विपक्षी ताकत के बल विधि विरुद्ध तरीके से उक्त रास्ते की भुमि को खुर्द बुर्द कर इसमें निर्माण इत्यादि करा इसे बंद करने की कौशिश करते है जबकि मौके पर रास्ता सदीप से कायम होकर प्रार्थीगण एवं इनके पूर्वाधिकारी इसका लगातार अनवरत रूप से उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण की भुमि में आने जाने हेतु इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। चूंकि उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं है इसलिए विपक्षीगण विवाद करते है अतः प्रार्थीगण की कृषि भुमि में आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी संख्या 2228/1755 व 1885 के सटमा रेकार्डेड आम रास्ते से 15 फीट चौडा रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित किया जाना आवश्यक है। 15 फीट चौडे रास्ते की जो भी डी.एल.सी. राशि देय होती है वह प्रार्थीगण विपक्षीगण को अदा करने के लिये तैयार व तत्पर है। यह कि प्रार्थीगण इसी रास्ते से आते जाते रहे है और उक्त रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जो मुख्य रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज है लेकिन उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है जबकि प्रार्थीगण की जमीन में आने जाने का एक मात्र यही रास्ता है, जिससे प्रार्थीगण आते जाते रहे है व अपने हल बैल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाते ले जाते रहे है। इस प्रकार विपक्षीगण प्रार्थीगण के उक्त रास्ते को बंद करने पर आमामादा है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण से काफी निवेदन किया लेकिन विपक्षीगण उक्त रास्ते को बंद नहीं करे लेकिन विपक्षीगण मानने को तैयार नहीं है और जबरन ताकत के बल पर प्रार्थीगण का रास्ता बंद करने पर आमामादा है जिससे प्रार्थीगण अपने खेतो में आने जाने से वंचित हो जायेगे और प्रार्थीगण को अपने खेतो में फसल की बुवाई नहीं कर पायेगे। फसल घास आदि भी लानी ले जानी पड़ेगी और रास्ता बंद हो जाने पर प्रार्थीगण अपने खेतो में फसल भी नहीं बो पायेगे उपज आदि नहीं ला पायेगे। प्रार्थीगण के खेतो में जाने का एक मात्र विपक्षी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से होकर उक्त जाने वाला ही एक मात्र रास्ता है प्रार्थीगण की जमीन में जाने आने के लिए अन्य कहीं से भी कोई रास्ता मौजूद नहीं है। जिस वजह से प्रार्थीगण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 क के अन्तर्गत रास्ता कायम एवं रेकार्ड पर नक्शे इत्यादि में 15 फीट चौडा रास्ता दर्ज कराने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है तथा धारा 251 ए के तहत अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए चाहे गये रास्ते के एवज में प्रार्थीगण विपक्षीगण को आप न्यायालय द्वारा निर्धारित किये जाने वाले सम्यक मुआवजा राशि अदा करने के लिए सदेव तत्पर हैं व आपके आदेश की पालना करने के लिए वचनबद्ध हैं।

5
 सहायक कलक्टर
 (उप खण्ड अधिकारी)

मेवाड़


अतः आप श्रीमान् से प्रार्थना है कि राजस्व ग्राम ओडा तहसील रेलमगरा में स्थित विपक्षीगण की आराजी संख्या 2228/1755 व 1885 जिसका विवरण प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 द में वर्णित किया गया है में रेकार्डेड मुख्य आम रास्ते से 15 फीट चौड़ा रास्ता जो पहले से रास्ते के रूप में मौजूद है, एवं जिसका नजरी नक्शा साथ सलंग्न है उसके अनुसार उपलब्ध कराई जावें एवं उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में घोषित करते हुए रास्ते के रूप में दर्ज कराया जावे। अन्य अनुतोष जो प्रार्थीगण के लिए हितकर हो वह भी दिलाया जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गये। विपक्षीगण बावजूद सुचना तामिल के अनुपस्थित रहने से पत्रावली पर एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना-पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस वर्तमान जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी रास्ते के सम्बन्ध में अपनी जांच रिपोर्ट भिजवाई गई जिसमें यह बताया कि प्रार्थी के इस रास्ते के अलावा अन्य रास्ता कोई उपलब्ध नहीं है तथा निकटतम रास्ता विवादित आराजियात से ही हैं तथा विवादित आराजियात में आने-जाने हेतु आराजी नम्बर 1885 में से 14 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई कुल 56 वर्गमीटर आराजी नम्बर 2228/1755 में से 14 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई कुल 56 वर्गमीटर यानि उपरोक्त दोनो आराजीयात से कुल रकबा 112 वर्गमीटर भुमि प्रस्तावित होगी। प्रस्तावित रास्ते की भुमि पर कोई पेड, फसल, निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता आराजी आराजी संख्या 1754 मौके पर डामरीकृत सडक से मिलता है। प्रस्तावित भुमि की डी.एल.सी. अनुसार राशि 48,82000/- प्रति हैक्टर से रकबा 112 वर्गमीटर भुमि की दो गुणा राशि 109400/-रूपये बनते है। उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया की प्रार्थी की आराजी मौजा ग्राम ओडा में स्थित हैं। उक्त आराजियात पर पूर्व से ही रास्ते के उपयोग-उपभोग में ली जा रही है। विपक्षीगण ने उक्त रास्ता बन्द कर दिया गया प्रार्थी की जमीन इस रास्ते के अलावा वैकल्पिक अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं। उक्त रास्ता राजस्व रिर्कोर्ड में दर्ज करवाया जाकर तरमीम कराने का आदेश प्रदान करावें। राजकीय शुल्क प्रार्थी अदा करने को तैयार है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में दिए गए उजरात पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिर्कोर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी की आराजी नम्बर 1886 का खातेदार काश्तकार होना ताईद है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी मौका जांच रिपोर्ट करवाई गई उक्त आराजियात में प्रार्थी को आने-जाने के लिए निकटतम दूरी का रास्ता ही प्रस्तावित किया गया इसके अतिरिक्त निकटतम कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी में आने-जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता रहती हैं जिससे तहसीलदार रेलमगरा की जांच रिपोर्ट से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र साबित पाये जाने से स्वीकार किये जाने योग्य है।


सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है की ग्राम ओडा में प्रार्थी की आराजी नम्बर 1885 में से 14 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई कुल 56 वर्गमीटर आराजी नम्बर 2228/1755 में से 14 मीटर लम्बाई एवं 4 मीटर चौड़ाई कुल 56 वर्गमीटर यानि उपरोक्त दोनो आराजीयात से कुल रकबा 112 वर्गमीटर भुमि प्रस्तावित की गई। प्रस्तावित भुमि की डी.एल.सी. अनुसार राशि 48,82000/- प्रति हैक्टर से रकबा 112 वर्गमीटर भुमि की दो गुणा राशि 109400/-रूपये बनते है। प्रार्थी नियमानुसार तहसीलदार रेलमगरा के कार्यालय में जमा करावें। उक्त राशि जमा कराने के पश्चात् राजस्व अभिलेख में तथा नक्शा ट्रेस में उक्त रास्ते का अंकन किया जावें। तथा उक्त रास्ता सार्वजनिक रास्ता रहेगा। तहसीलदार रेलमगरा पालना करा रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

5

(बिन्दुबाला राजावत)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(सजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा